HINDUSTAN TIMES, Chandigarh, 13.2.2025
Page No. 11, Size:(3.49)cms X (13.45)cms.

THEFT ACCUSED DIES IN CUSTODY, POLICE SEEK PROBE

HT Correspondent
letterschd@hindustantimes.com

JAMMU : A man arrested in connection with a theft case died at a hospital in Jammu on late Tuesday after complaining of chest pain while in police custody, said officials.

The deceased was taken into custody, along with two others on February 4, and booked under FIR number 344/2024 at Bahu Forte police station for stealing household items, including a fridge, LED and gas cylinder.

"He was on police remand and was lodged in the lockup of Bahu Fort police station. On Tuesday, he complained of chest and abdomen pain. He was immediately shifted to district police hospital in Jammu and his was family informed," an official said. Later, he was referred to GMC Jammu at 4 pm for treatment but during the course of treatment he collapsed at 9.30 pm. The police official said the deceased had a history of drug addiction and had undergone treatment at a de-addiction centre according to his mother.

"A request for magisterial inquiry has been raised by Jammu district police office and an intimation was sent to NHRC," he added. A post-mortem examination was ordered.

KASHMIR IMAGES, Srinagar, 13.2.2025
Page No. 1, Size:(12.37)cms X (19.46)cms.

Theft accused dies in Jammu hospital

JAMMU: A man arrested in a theft case over a week ago died at a hospital here after complaining of severe pain in his chest and abdomen, police said on Wednesday.

Madhya Pradesh native Suresh Anuragi, who was presently residing in Jammu's Trikuta Nagar, was on February 4 arrested along with two other associates in a burglary case registered at Police Station Bahu Fort, they said in a statement late Tuesday night.

The police said the accused complained of severe pain in his chest and abdomen and was swiftly shifted to District Police Hospital Jammu and his family was also informed.

Later, he was referred to Government Medical College Hospital at around 4 pm for treatment but breathed his last at around 9.30 pm, they said.

"Anuragi's family was present with him at the hospital during treatment," the police said, adding that a request for magisterial inquiry has been raised and intimation was also sent to NHRC regarding the incident as per the provision of law.

Moreover, a request has been

See **Theft accused** ...on Pg-08

Theft accused...

placed for post-mortem which will be conducted in the hospital on Wednesday, the police said.

"Police remain committed to a fair inquiry and at the same time steadfast in holding to the rule of law while discharging its duties," the police said.

Quoting the mother of the deceased, the police said the accused who was in his 20's was a drug addict and had also been admitted to a drug de-addiction centre in the past.

During the investigation of a burglary case, the police said several stolen household items including an LED, cylinder and fridge were recovered at the disclosure of the accused.

"Throughout his police remand, the medical checkup of the accused was conducted regularly (five times) as per the SOP," it said. (PTI)

Hindustan Times

Theft accused dies in custody, Jammu police seek probe

https://www.hindustantimes.com/cities/chandigarh-news/theft-accused-dies-in-custody-jammu-police-seek-probe-101739381015369.html

By HT Correspondent, Jammu | Feb 12, 2025 10:53 PM IST

The deceased was taken into custody, along with two others on February 4, and booked under FIR number 344/2024 at Bahu Forte police station for stealing household items, including a fridge, LED and gas cylinder

A man arrested in connection with a theft case died at a hospital in Jammu on late Tuesday after complaining of chest pain while in police custody, said officials.

The deceased was taken into custody, along with two others on February 4, and booked under FIR number 344/2024 at Bahu Forte police station for stealing household items, including a fridge, LED and gas cylinder.

“He was on police remand and was lodged in the lockup of Bahu Fort police station. On Tuesday, he complained of chest and abdomen pain. He was immediately shifted to district police hospital in Jammu and his was family informed,” an official said.

Later, he was referred to GMC Jammu at 4 pm for treatment but during the course of treatment he collapsed at 9.30 pm. The police official said the deceased had a history of drug addiction and had undergone treatment at a de-addiction centre according to his mother.

“A request for magisterial inquiry has been raised by Jammu district police office and an intimation sent to NHRC regarding the incident as per provision of law,” he added. A post-mortem examination has been ordered by a medical board.

LatestLY

Jammu Shocker: चोरी के आरोपी की सीने और पेट में तेज दर्द के बाद जम्मू के अस्पताल में हुई मौत

जम्मू में एक सप्ताह पहले चोरी के एक मामले में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की सीने और पेट में तेज दर्द की शिकायत के बाद यहां एक अस्पताल में मौत हो गई.

https://hindi.latestly.com/agency-news/death-in-a-hospital-in-jammu-after-a-severe-pain-in-his-chest-and-stomach-2495811.html

एजेंसी न्यूज Bhasha| Feb 12, 2025 01:13 PM IST

जम्मू, 12 फरवरी : जम्मू में एक सप्ताह पहले चोरी के एक मामले में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की सीने और पेट में तेज दर्द की शिकायत के बाद यहां एक अस्पताल में मौत हो गई. पुलिस ने मंगलवार देर रात जारी कर बयान में कहा कि वर्तमान में जम्मू के त्रिकुटा नगर में रह रहे मध्य प्रदेश के मूल निवासी सुरेश अनुरागी को, चार फरवरी को बहू फोर्ट पुलिस थाने में दर्ज चोरी के एक मामले में दो अन्य सहयोगियों के साथ गिरफ्तार किया गया था. पुलिस ने कहा कि आरोपी द्वारा सीने और पेट में तेज दर्द की शिकायत करने पर उसे तुरंत जिला पुलिस अस्पताल जम्मू ले जाया गया और उसके परिवार को भी सूचित किया गया.

उन्होंने कहा कि आरोपी को बाद में इलाज के लिए शाम करीब चार बजे सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया. लेकिन रात करीब साढे नौ बजे उसने दम तोड़ दी. पुलिस ने कहा, "अनुरागी का परिवार इलाज के दौरान अस्पताल में उसके साथ मौजूद था." उन्होंने कहा कि मजिस्ट्रेट जांच के लिए अनुरोध किया गया है और कानून के प्रावधान के अनुसार घटना के बारे में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) को भी सूचना भेजी गई है.

पुलिस ने बताया कि पोस्टमार्टम के लिए अनुरोध किया गया है जो बुधवार को अस्पताल में किया जाएगा. पुलिस ने मृतक की मां के हवाले से बताया कि आरोपी की उम्र 20 वर्ष थी और वह नशे का आदी था और उसे पहले भी नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कराया गया था.

पुलिस ने बताया कि चोरी के एक मामले की जांच के दौरान आरोपी की निशानदेही पर एलईडी, सिलेंडर और फ्रिज समेत चोरी के कई घरेलू सामान बरामद किए गए. पुलिस ने बताया, "पुलिस रिमांड के दौरान आरोपी की मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार नियमित रूप से (पांच बार) मेडिकल जांच कराई गई थी."

Rashtra Samvad

भीख मांगने की प्रथा: मदद की गुहार या एक सुनियोजित धंधा?

https://rashtrasamvad.com/the-practice-of-begging-a-plea-for-help-or-a-planned-business/

By News Desk | February 12, 2025 8 Mins Read

भीख मांगने की प्रथा: मदद की गुहार या एक सुनियोजित धंधा?

भारत में भीख मांगना धार्मिक दान से जटिल सामाजिक-आर्थिक समस्या बन गई है। व्यस्त सड़क पर, हाथ बढ़ाना मदद के लिए पुकार जैसा लग सकता है, लेकिन इसमें अक्सर व्यवस्थित उपेक्षा, संगठित अपराध और शोषण का जाल छिपा होता है। सहानुभूति जीतने के लिए नशीले पदार्थ दिए जाने वाले शिशुओं से लेकर स्कूल से उठाकर सड़कों पर फेंक दिए जाने वाले बच्चों तक, भीख मांगना सिर्फ़ मदद के लिए पुकार से कहीं ज़्यादा है; यह हमारी सामूहिक कमज़ोरियों की आलोचना है। बाल भिखारी अभी भी इस समस्या का सबसे परेशान करने वाला हिस्सा है। इस चक्र को तोड़ने के लिए, यह ज़रूरी है कि इन बच्चों को संरक्षित और शिक्षित किया जाए। कमज़ोर, ख़ास तौर पर बच्चे और विकलांग लोगों का संगठित भीख मांगने वाले गिरोहों द्वारा फ़ायदा उठाया जाता हैं। भिक्षा देने से जुड़ी प्रथाएँ अक्सर भीख माँगने को बढ़ावा देती हैं। अधिक उद्देश्यपूर्ण दान को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक शिक्षा पहल शुरू करना ज़रूरी है।

-प्रियंका सौरभ

भारत में सार्वजनिक रूप से भीख मांगने की प्रथा मनरेगा और स्माइल जैसे व्यापक कल्याणकारी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के बाद भी आम है। आंकड़ों के अनुसार, 413 लाख से अधिक लोग अभी भी इस प्रथा में लिप्त हैं, जो दीर्घकालिक गरीबी, कम साक्षरता और सरकारी हस्तक्षेप के बावजूद काम के अवसरों की कमी जैसी अंतर्निहित सामाजिक आर्थिक कमजोरियों को रेखांकित करता है। बड़े बच्चों को भीख मांगना सिखाया जाता है, जबकि शिशुओं को बीमार दिखने के लिए नशीला पदार्थ दिया जाता है। कुछ ने कभी कक्षा में क़दम नहीं रखा है और कई ने जल्दी पैसे कमाने के लिए अपने भविष्य को दांव पर लगाकर स्कूल छोड़ दिया है। हाल के आँकड़े बताते हैं कि भारत में स्कूल छोड़ने वाले बच्चे कितने आम हैं, खासकर किशोरों में। वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार, 18 वर्ष की आयु के 25 प्रतिशत बच्चे बुनियादी पढ़ने के कौशल से जूझते हैं और 32.6 प्रतिशत स्कूल छोड़ देते हैं। विकलांग लोगों का फायदा उठाया जाता है क्योंकि वे भिखारी के तौर पर अधिक पसंद किए जाते हैं। जब मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति का इलाज़ नहीं किया जाता है, तो लोग शोषण और निर्भरता के चक्र में फंस जाते हैं।

भारत में 400, 000 से ज़्यादा नियमित भिखारी रहते हैं; उनकी दुर्दशा कई तरह के कारकों से उपजी है, जिसमें संगठित भीख मांगने वाले गिरोह, गरीबी, विकलांगता और प्राकृतिक आपदाओं के कारण विस्थापन शामिल हैं समाज के सबसे कमज़ोर सदस्यों को शिकार बनाकर और लगभग दंड से मुक्त होकर काम करके, इन सिंडिकेट ने ग़रीबी को एक लाभदायक उद्यम में बदल दिया है। 81, 000 से ज़्यादा भीख मांगने वाले लोगों के साथ, पश्चिम बंगाल भारत में सबसे ज़्यादा भीख मांगने वाला राज्य है, उसके बाद आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश हैं। गरीबी, ग्रामीण-शहरी प्रवास और आसानी से सुलभ सहायता नेटवर्क की कमी इन क्षेत्रों में भिखारियों की बढ़ती संख्या में योगदान देने वाले कुछ सामाजिक-आर्थिक कारक हैं। भारत में, कई

कल्याणकारी कार्यक्रमों के अस्तित्व के बावजूद भीख मांगने की प्रथा जड़ जमाए बैठी सामाजिक-आर्थिक कमज़ोरियों के कारण बनी हुई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कल्याणकारी कार्यक्रम अक्सर खराब क्रियान्वयन, भ्रष्टाचार और प्राप्तकर्ताओं के बीच जागरूकता की कमी के कारण विफल हो जाते हैं। स्माइल जैसी योजनाएँ, जो आश्रय और आजीविका सहायता प्रदान करती हैं, कई भिखारियों को अच्छी तरह से ज्ञात नहीं हैं।

विशेष रूप से ग्रामीण और शहरी झुग्गियों में, जो लोग घोर ग़रीबी में जी रहे हैं, उनके पास जीवित रहने के लिए भीख माँगने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। 2011 की जनगणना के अनुसार, मनरेगा जैसे ग़रीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के साथ भी, 413, 000 से अधिक लोग भीख माँग रहे थे। भीख माँगने वाले व्यक्तियों में अक्सर औपचारिक शिक्षा और रोजगार योग्य कौशल की कमी होती है, जो औपचारिक रोजगार के अवसरों तक उनकी पहुँच को सीमित करता है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत पेश किए गए व्यावसायिक प्रशिक्षण से भिखारियों और अन्य हाशिए के समूहों तक पर्याप्त रूप से नहीं पहुँचा जा सका है। ट्रांसजेंडर लोग और विकलांग लोग कमज़ोर समूहों के दो उदाहरण हैं जिन्हें समाज द्वारा उपेक्षित किया जाता है और मुख्यधारा के आर्थिक अवसरों से बाहर रखा जाता है। कई लोग ट्रैफ़िक सिग्नल पर भीख माँगने के लिए मजबूर होते हैं क्योंकि उन्हें ट्रांसजेंडर कल्याण कार्यक्रमों के बावजूद भी स्वीकार नहीं किया जाता है। कमज़ोर लोगों को आपराधिक नेटवर्क द्वारा अपहरण कर लिया जाता है, जो फिर उन्हें भीख माँगने के लिए मजबूर करते हैं, जिससे इस चक्र को तोड़ना मुश्किल हो जाता है। दिल्ली में पुलिस ने 2023 में पचास बच्चों को बचाया, जिन्हें तस्करी के गिरोह द्वारा भीख मांगने के लिए मजबूर किया गया था।

भारत में भीख मांगने की प्रवृत्ति के बने रहने का एक मुख्य कारण यह है कि यहाँ कोई केंद्रीकृत डेटाबेस नहीं है जो भीख मांगने वाले व्यक्तियों के पुनर्वास में मदद करने के लिए केंद्रित हस्तक्षेप की अनुमति दे सके। राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए नगरपालिका रिकॉर्ड का उपयोग करने का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का सुझाव भिखारियों के बारे में भरोसेमंद जानकारी की कमी की ओर ध्यान आकर्षित करता है। पीढ़ी दर पीढ़ी ग़रीबी और भीख मांगने पर निर्भरता तब बनी रहती है जब भीख मांगने वाले बच्चों को औपचारिक शिक्षा तक पहुँच से वंचित कर दिया जाता है। आउटरीच पहलों की कमी के कारण, कई बच्चे अभी भी शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के तहत नामांकित नहीं हैं। मादक द्रव्यों के सेवन और अनुपचारित मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के कारण लोग भीख मांगते हैं और ग़रीबी में रहते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सलाह स्माइल कार्यक्रम के तहत आश्रय गृहों में नशामुक्ति और मानसिक स्वास्थ्य परामर्श सेवाओं की कमी को उजागर करती है। बेरोजगारी के कारण ग्रामीण-से-शहरी प्रवास के कारण शहरी भीड़भाड़ के कारण, प्रवासियों को भीख मांगने के लिए मजबूर होना पड़ता है। भीख मांगने के खिलाफ कानून संगठित अपराध से निपटने और पुनर्वास प्रदान करने के लिए या तो कठोर हैं या अपर्याप्त हैं। उदाहरण के लिए, बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बेगिंग एक्ट, जबरन भीख मांगने वाले नेटवर्क को जन्म देने वाले अंतर्निहित मुद्दों को सम्बोधित करने के बजाय भिखारियों को अपराधी बनाता है।

भारत में भीख मांगने से निपटने के लिए नीतियाँ, लक्षित कल्याण हस्तक्षेपों को सुविधाजनक बनाने और उनके पुनर्वास को ट्रैक करने के लिए, भीख मांगने वाले लोगों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस स्थापित किया जाना चाहिए और इसे अक्सर अपडेट किया जाना चाहिए। भिखारियों की पहचान करने के लिए, नगर निगम गैर-सरकारी संगठनों के साथ काम कर सकते हैं, जैसा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की मानकीकृत सर्वेक्षण प्रारूपों का उपयोग करने की सिफ़ारिश में सुझाया गया है।

संगठित भीख मांगने को रोकने, अपराधियों को दंडित करने और पीड़ितों को अपने पैरों पर वापस खड़े होने में मदद करने के लिए विशेष कानून लागू करें। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा अनुशंसित जबरन भीख मांगने को अवैध बनाने के लिए कानून अपनाने से तस्करी और शोषण करने वाले संगठनों पर रोक लगेगी। लोगों को सम्मानजनक नौकरी खोजने या स्वरोजगार के अवसरों का पीछा करने में सक्षम बनाने के लिए, आश्रय गृहों को कौशल-आधारित व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जैसे कार्यक्रम आश्रय गृहों के साथ मिलकर भिखारियों को बढ़ईगीरी, सिलाई या अन्य व्यवसायों में कौशल सिखा सकते हैं जो उनकी योग्यता के अनुकूल हों। आश्रय गृहों में मानसिक स्वास्थ्य परामर्श सेवाएँ और मोबाइल स्वास्थ्य इकाइयाँ प्रदान करें, ताकि अनुपचारित बीमारियों, व्यसन और विकलांगताओं का समाधान किया जा सके।

एनएचआरसी आश्रय गृहों को आयुष्मान भारत लाभों को एकीकृत करने की सलाह देता है, ताकि पुनर्वास से गुज़र चुके लोगों के लिए स्वास्थ्य कवरेज की गारंटी दी जा सके। बच्चों के लिए शिक्षा तक पहुँच: शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत, भीख माँगने वाले बच्चों को स्कूलों में दाखिला दिलाएँ और सुनिश्चित करें कि उन्हें खाना, कपड़े और सहायता मिले। भिखारी बच्चों के माता-पिता को लक्षित करके विशेष जागरूकता अभियान चलाकर, विशेष रूप से शहरी मलिन बस्तियों में, स्कूलों में नामांकन बढ़ाया जा सकता है। भिक्षा के बजाय पुनर्वास कार्यक्रमों में दान को प्रोत्साहित करने के लिए जागरूकता बढ़ाने वाले कार्यक्रम आयोजित करें। हैदराबाद जैसे शहरों में लोगों को भिखारियों के बजाय सरकारी आश्रयों में दान देने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सफल अभियान चलाए गए हैं। भीख माँगना भारत में व्यवस्थित उपेक्षा और संगठित शोषण का एक लक्षण है, न कि केवल ग़रीबी का प्रतिबिंब। हालाँकि बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ़ बेगिंग एक्ट, 1959 जैसे कानून ने इस प्रथा को रोकने का प्रयास किया है, लेकिन यह अक्सर अपराधियों के बजाय पीड़ितों को अपराधी बनाता है। जवाबदेही और पुनर्वास पर ज़ोर देते हुए, इंदौर में भिक्षावृत्ति पर प्रतिबंध जैसे साहसिक क़दम उम्मीद जगाते हैं।

भारत के भिक्षावृत्ति विरोधी अभियान का लक्ष्य दंड के बजाय सशक्तिकरण होना चाहिए। नागरिकों के रूप में भीख मांगने के प्रति हमारी प्रतिक्रियाओं को धर्मार्थ कार्यों के बजाय प्रणालीगत परिवर्तन की दिशा में क़दम के रूप में पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। भीख मांगने को समाप्त करने के लिए, हमें लोगों के जीवन को सशक्त बनाना होगा। ग़रीबी के चक्र को समाप्त करने के लिए, सामाजिक सुरक्षा जाल को मज़बूत किया जाना चाहिए, समावेशी शिक्षा की गारंटी दी जानी चाहिए और कौशल विकास को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। एक आत्मनिर्भर भारत जहाँ प्रत्येक व्यक्ति देश की उन्नति में सार्थक और सम्मानजनक योगदान देता है, भिक्षावृत्ति विरोधी कानूनों और समुदाय-संचालित पुनर्वास के सख्त प्रवर्तन के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा।

Sandhyadeep

मोदी-शाह ने पुरुष के साथ रेप को अपराध नहीं माना

https://sandhyadeep.co.in/2025/02/12/%E0%A4%AE%E0%A5%8B%E0%A4%A6%E0%A5%80-%E0%A4%B6%E0%A4%BE%E0%A4%B9-%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%AA%E0%A5%81%E0%A4%B0%E0%A5%81%E0%A4%B7-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%A5-%E0%A4%B0%E0%A5%87/

By admin - February 12, 2025

नई दिल्ली। भारतीय गणराज्य के सन विधान के अनु छेदों में किस प्रकार बदलाव हुए और सन विधान को नहीं पता लगा कि वह इतने छेद के साथ किस प्रकार जीवित रह सकता है। वहीं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी ने एक और कमाल कर दिया।

असल में खत्री समाज के नवतेज सिंह जोहर, आयशा कपूर, केशव सूरी और मीडियाकर्मी सुनील मेहरा आदि के माध्यम से एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करवायी गयी। इस याचिका पर 6 सितंबर 2018 को तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, डीवाई चंद्रचूड,रोहिंटन नरीमन, इन्दु मल्होत्रा आदि की पांच सदस्यीय पीठ ने धारा 377 में संशोधन कर दिया था। इस संशोधन का लाभ फैसला सुनाने वाले तीन न्यायाधीशों को सीधे तौर पर मिला।

दीपक मिश्रा को रिटायरमेंट के तुरंत बाद ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया। वे पांच साल तक आराम से रहे। डीवाई चंद्रचूड़ को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। रोहिंटन नरीमन जो पारसी थे और टाटा स्टील के मालिक रतन टाटा के नजदीकी भी कहे जा सकते हैं क्योंकि दोनों पारसी हैं। इन्दू मल्होत्रा खत्री हैं और याचिकाकर्ता भी जाति से खत्री हैं, इस तरह से कहीं न कहीं कोई तार रहा जो उसी पीठ में शामिल किया गया।

इस पीठ ने सन विधान के अनु छेदों का सहारा लिया और कहा कि पुरुष अगर पुरुष की गुदा मैथुन करता है तो यह अपराध नहीं है। फिल्मकार करण जौहर ने इसे एतिहासिक फैसला सुनाया। जौहर भी खत्री हैं। इस तरह से याचिका कर्ता भी खत्री थे और उन्होंने सबसे पहले प्रतिक्रिया दी। अब सन विधान के साथ अनु छेदों का लाभ उठाया गया और इस्पात, एल्युमियम का भंडार एकत्रित किया गया, वह सुप्रीम कोर्ट के पीठाधीश को नजर नहीं आया।

धर्म की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यह फैसला आया और आरएसएस भी चुप्पी साधे बैठा हुआ था क्योंकि सीधे तौर पर टाटा, बिडला, जिंदल इसमें शामिल थे और दक्षिण कोरिया की कंपनियां, चाइना की शाहगैंग स्टील कंपनी सभी को इसका लाभ मिल रहा था और सुप्रीम कोर्ट की मुहर भी लग गयी।

इसके उपरांत गृह मंत्रालय ने 1 जुलाई 2024 को नया कानून पेश किया, जिसने आईपीसी, सीआरपीसी, भारतीय साक्ष्य अधिनियम का स्थान लिया। क्रमश बीएनएस, बीएनएसएस आदि नाम दिया गया। संसद से भी यह विधेयक के रूप में पास हो गया। इसमें धारा 377 को बिलकुल ही समाप्त कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट की भी मुहर लग गयी। संसद के दोनों सदनों ने भी पारित कर दिया।

राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू ने भी हस्ताक्षर कर दिये। इस तरह से सन विधान के अनु छेद के साथ कुछ भी होता रहे, इसका संसद, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति का कोई वास्ता नहीं रहा।
वहीं 6 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और इधर बजाज स्टील, जिंदल स्टील आदि के शेयर्स के दाम आसमान को छूने लगे। एक नयी क्रांति का सूत्रपात हो गया।
वो कहावत है न कि किश्ती वहां डूबी, जहां पानी कम था। खत्री समाज के मुख्य चेहरों को याचिकाकर्ता, फैसलाकर्ता और प्रशंसकर्ता के रूप में पेश किया गया। सभी राजनीतिक दल भी तारीफ कर रहे थे। टीएमसी, जनता दल, कांग्रेस के विद्वान सांसद शशि थरूर आदि-आदि। सोशल मीडिया पर इसके बाद रतन टाटा को भारत रत्न पुरस्कार दिये जाने की मांग उठने लगी।
अब वे दुनिया के लिए इस जहां में नहीं है किंतु वे आज भी उसी तरह उसी शरीर में जीवित है। एक कहावत है न कि जीते जी मर जाना। रतन टाटा के साथ वो हुआ। वे जीवित होकर भी स्वयं को जीवित नहीं कह सकते। उसी तरह से जैसे फिल्मी दुनिया में ऋषि कपूर, श्रीदेवी, रणधीर कपूर, राजेश खन्ना आदि। यह लोग भी जीवित होकर स्वयं को मरा हुआ मान रहे हैं।
जिस धन के लिए इतना पाप किया, वो धन को वे अपने नाम के साथ आनंद प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं।

Financial Express

"Show not scripted": Latent judges Ashish Chanchalani and Apoorva Mukhija told Mumbai Police

The controversy over Ranveer Allahbadia's objectionable comments on Samay Raina's India's Got Latent has escalated. Following the viral spread of the remarks, police complaints have been filed against nearly 30 individuals involved in the show.

https://www.financialexpress.com/life/entertainment/show-not-scripted-latent-judges-ashish-chanchalani-and-apoorva-mukhija-told-mumbai-police/3747464/

Written by FE Online | February 12, 2025 18:52 IST

The controversy building around Ranveer Allahbadia's objectionable comment on Samay Raina's India's Got Latent has intensified. After the remarks has gone viral police complaints have been filed against almost 30 individuals.

Amid the controversy YouTubers Apoorva Mukhija, also known as the 'Rebel Kid', and Ashish Chanchalani have provided their statements to the police.

In their statements to the police, as reported by News18, Mukhija and Chanchalani explained that the show is not scripted. They mentioned that panellists and contestants are encouraged to speak in a natural and open manner.

The Mumbai Police recorded statements from four individuals, including social media influencer Apoorva Mukhija, regarding the controversial comments made by Ranveer Allahbadia on the YouTube show "India's Got Latent."

According to an official from the Khar police station, the statements of Mukhija, Allahbadia's manager, and two others were taken, but Allahbadia himself has not yet been questioned.

Additionally, they clarified that the judges do not receive payment for their appearances on the show but are allowed to share content from the show on their social media accounts. To participate in the show, individuals must purchase tickets, and the proceeds from these ticket sales are awarded to the winner of the show.

In the viral video, the influencer was seen asking a contestant, "Would you rather watch your parents have sex every day for the rest of your life or join in once and stop it forever." This remark was seen as vulgar and offensive.

The controversial video was removed from YouTube after the intervention of the I&B Ministry and the National Human Rights Commission (NHRC) following a massive uproar from politicians, celebrities and high-profile personalities. The matter was also raised in Parliament and police officials have registered an FIR against 30 people for promoting vulgar content.

As the controversy over Ranveer Allahbadia's remarks continues to grow, the Mumbai Police have summoned both Allahbadia and Samay Raina for questioning. Raina's lawyer had requested more time for the host to appear, but this request was denied. So far, police have recorded the statements of six individuals involved in the matter.

Cyber cell asks Youtube to remove all videos

\Additionally, the Maharashtra Cyber Cell has reached out to YouTube, demanding the removal of all episodes of India's Got Latent that contain explicit content.

The Mumbai Police have also summoned several celebrities, including Siddhant Chaturvedi, Uorfi Javed, Tanmay Bhat, Rakhi Sawant, and Deepak Kalal, to provide statements in connection with the case. Ashish Chanchalani's statement was recorded by Khar police today.

The National Commission for Women (NCW) has intervened as well, summoning Ranveer Allahbadia and Samay Raina. The NCW stated that their comments have triggered widespread public outrage and violate the dignity and respect every individual deserves, especially in a society that values equality and mutual respect.

(With Agency Inputs)

United News of India

NCW summons Ranveer Allahbadia for derogatory remarks during online show

https://www.uniindia.com/ncw-summons-ranveer-allahbadia-for-derogatory-remarks-during-online-show/india/news/3389020.html

India Posted at: Feb 12 2025 1:03PM

New Delhi, Feb 12 (UNI) The National Commission for Women has summoned Ranveer Allahbadia, Samay Raina and others for their "derogatory and racist" comments on the YouTube show India's Got Latent.

The hearing will take place on February 17 at noon at the NCW's New Delhi office.

In an official statement, the NCW said, "The Commission has taken serious note of the vulgar and offensive remarks made by content creators such as Ranveer Allahbadia, Samay Raina, Apoorva Makhija, Jaspreet Singh, and Ashish Chanchlani, as well as the show's producers, Tushar Poojari and Saurabh Bothra."

The Commission has asked all seven to appear in person before it on the day of hearing.

This has come after the social media influencers and YouTubers came under the radar of netizens, politicians and celebrities over an "inappropriate" joke made by Allahbadia on the show.

The controversial episode was removed from YouTube on Monday night after much backlash. The National Human Rights Commission (NHRC) directed YouTube to remove the video after complaints about allegedly offensive language. Considering the ongoing controversy, the show’s producers deleted the much-talked-about episode. UNI JA ARN SSP